189

संख्या-1800/IV(2)-श0वि0-2016-50(सा0)14

**प्रेषक,**

**डी0एस0 गर्ब्याल,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**शहरी विकास अनुभाग-2** **देहरादून : दिनांक 14 अक्टूबर, 2016**

**विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर पंचायत, चम्बा (टिहरी गढ़वाल) को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगर पंचायत, चम्बा के पत्रांक-671/धन0 अवमुक्त/2015-16, दिनांक 03.10.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, चम्बा द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार संस्तुत **कुल ₹18.80 लाख (रूपये अठ्ठारह लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|
| 1. | मसूरी रोड़ से सुमन कालोनी की ओर जाने वाला रास्ता और नाली निर्माण कार्य। | 4.92 |
| 2. | वार्ड नं0-6 धरासू रोड में चमोली जी के मकान के निकट सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य। | 3.99 |
| 3. | वार्ड नं0-1 में कोठियाल जी के मकान से बिजल्वाण जी के मकान के निकट तक रास्ता और नाली निर्माण कार्य। | 4.10 |
| 4. | वार्ड नं0-4 में ऋषिकेश रोड़ में गब्बर सिंह स्मारक द्वार नीचे की ओर पी.सी.सी. खडिन्जा रास्ता निर्माण कार्य। | 2.84 |
| 5. | पी0डब्ल्यू0डी0 कार्यालय के बगल से ऊपर की ओर रास्ता और रेलिंग निर्माण कार्य। | 2.95 |
| | **योग-** | **18.80** |

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जा रही है:-

1. उक्त धनराशि **कुल ₹18.80 लाख (रूपये अठ्ठारह लाख अस्सी हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, चम्बा (टिहरी गढ़वाल) को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया हैं अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।**
3. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं/कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
5. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

..2/-....

6. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
7. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
10. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
11. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
12. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
13. धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
15. धनराशि का दिनांक 31–3–2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

**3–** उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे **₹14.80 लाख, अनुदान सं0–30** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–'42–अन्य व्यय के नामे **₹3.40 लाख** तथा **अनुदान सं0–31** के लेखाशीर्षक– 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191– स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे **₹0.60 लाख** डाला जाएगा।

**संलग्नक–एलॉटमेन्ट आई डी–S.**161013017**9, S.**1610300180**, एवं S.**1610310181**

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

..3/-...

संख्या–1800 (1)/IV(2)-श0वि0–2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चम्बा।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

( गजेन्द्र सिंह कफलिया )
अनु सचिव।